

- समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
 8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
 9. कम संख्या 5, 6, 7, 8 तथा 9 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
 10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. शासन उप सचिव वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (डीएमवाई) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन उप सचिव कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
14. उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलीजेन्स जयपुर।
15. उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर।
17. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
18. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
19. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
20. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्तें संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
22. श्री दिनेश कुमार निवासी-504, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर - कृपया परिवर्तित आवास संख्या 102, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
23. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
24. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
25. रक्षित पत्रावली।

(मुन्ना लाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव 4/9/13